75981/17

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR P

C 463241

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर सेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–179

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 463242

5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.525 हेक्टेअर
7.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
8.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 49,27,650/–
10.	मालियत	:	रू0 29,40,000/-
11.	स्टाम्प	:	रू0 3,45,000/-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 463243

चौहद्दी

खसरा नं0–179

पूरब	: चकमार्ग
पश्चिम	: खसरा संख्या–185
उत्तर	: खसरा संख्या–181
दक्षिण	: खसरा संख्या–178

कोषागार, लखनऊ

24/4/2013

कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

₹ 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 463244

-1-

प्रथम पक्ष की संख्या-02	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
विक्रेतागण का विवरण	क्रेता का विवरण
(1) रामदेव व (2) राम कली, पुत्रगण सुक्खा दास, निवासीगण-ग्राम हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	दयाराम पुत्र स्व0 शिव राम निवासी-मोहल्ला-मीरखपुर, तहसील-बिन्दकी, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0।

आदर्श कोषागार, लखनऊ

तिथि..........

मूल्य..........

नाम..........

शाखा..........

अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 768585

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख (1) रामदेव व (2) राम कली, पुत्रगण सुखखा दत्त, निवासीगण–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् दयाराम पुत्र स्व0 शिव राम निवासी–मोहल्ला–मिस्कपुर, तहसील–बिन्दकी, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

28.4.13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 468586

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–179 रकबा 0.525 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम–हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं, तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00188 के अनुसार उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों विक्रेतागण व उनकी माता श्रीमती बसन्ता देवी पत्नि स्व० सुखई दास के नाम दर्ज है, चूंकि श्रीमती बसन्ता देवी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनका भाग भी विक्रेतागण को ही प्राप्त हुआ है इस प्रकार विक्रेतागण उपरोक्त भूमि के आधे आधे भाग के मालिक, कामिल व काबिज हैं। विक्रेतागण उक्त भूमि

28.6.13

INDIA NON JUDICIAL

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Q 468597

को अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा

29.9.23

Rs 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 468538

इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 43,27,650/- रूपया (तैंतालीस लाख सत्ताईस हजार छः सौ पचास मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं

दिनांक 29.5.13

नाम

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 463702

-9-

विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को असली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेगा। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई मांग कर सकेगा और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

6

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रू 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 463703

भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

आदर्श [illegible]
[illegible]
21000
[illegible]

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 463704

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगा, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेपली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए

आवक क्रमांक [illegible]
दिनांक [illegible]
रु [illegible]
पृष्ठ [illegible]
द्वारा [illegible]

25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 463795

निर्धारित सरकिल रेट रू0 56,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.525 हेक्टेयर की मालियत रू0 29,40,000/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 3,45,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 6 किलोमीटर से अधिक

आदर्श कोशपुर, फैजाबाद

[illegible]

[illegible] श्री [illegible]

[illegible]

[illegible] गवाह [illegible]

[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

रु. 25000

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 463796

दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों **"विक्रेतागण"** एवं **"क्रेता"** में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

विक्रय पत्र

1,92?,???.00 [illegible] 2,940,000.00 [illegible] 15,000.00 [illegible] 20 [illegible] 15,0??.00 [illegible] 1,000

[illegible] [illegible] फीस [illegible] [illegible] योग [illegible] शब्द शब्दा

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible] दास

व्यवसाय कृषि

निवासी [illegible] [illegible] पर.बिजनौर,जालंधर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 2?/?/2012 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

हीरालाल

उप निबन्धक (प्रथम)

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

??/?/2013

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] [illegible] पर.बिजनौर,जालंधर

क्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] [illegible] [illegible]

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible] दास

पेशा कृषि

निवासी ग्राम [illegible] सोनली पर.बिजनौर,जालंधर

भारत सरकार

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 422448

19 MAR 2013

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–179 रकबा 0.325 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम –[illegible]पुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. रु0 24,63,825/– (रुपया चौबीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–247259 दिनांकित 29.04.2013 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ।

2. रु0 24,63,825/– (रुपया चौबीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–247260 दिनांकित 29.04.2013 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ।

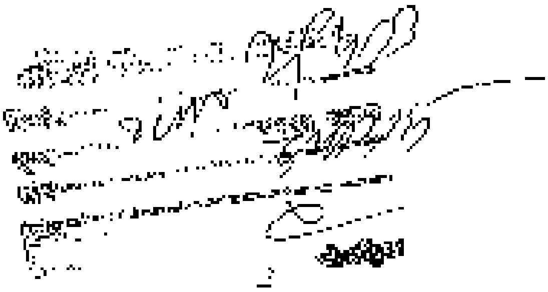

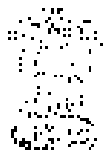

Registration No. [illegible]   Year : [illegible]   Book No. : [illegible]

[illegible]   [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]   [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

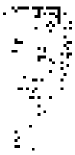

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 49,27,650/- (रूपया उन्चास लाख सत्ताईस हजार छः सौ पचास मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 29.04.2019

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाइपकर्ता

(राम ...)

मसविदाकर्ता

(अर्चना पाण्डेय)
एडवोकेट

Registration No.: 7190

Year: 2017

Book No.: 1

[illegible]

नक्सा — नजरी

ग्राम — [illegible] वडा नं

[illegible] १२९

कित्ता — [illegible]

[illegible] — [illegible]

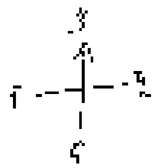

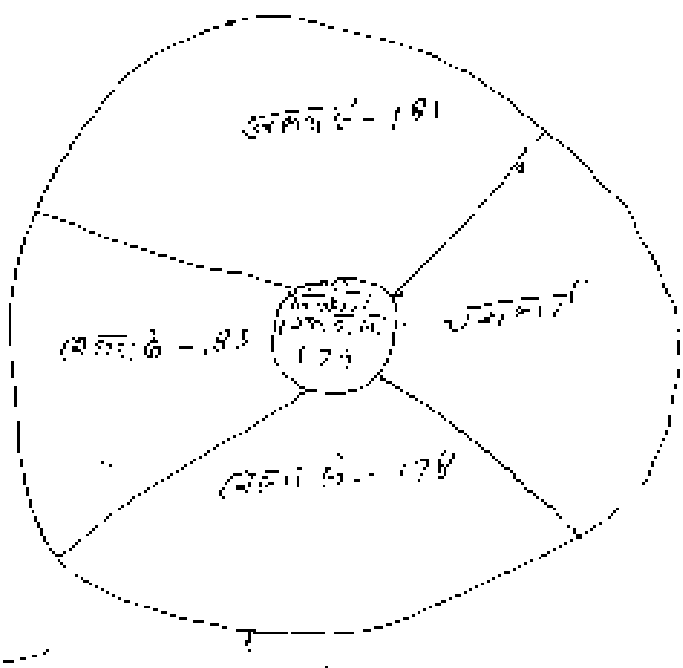

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आज दिनांक 29/04/2013 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 15611

पृष्ठ सं. 192 से 222 पर क्रमांक 7590

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

29/4/2013